रजिस्ट्री सं० डी. 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 1966/फाल्गुन 17, 1887

No. 44] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 1966/PHALGUNA 17, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1966

निर्यात संवर्धन परिषदों की कार्य-गति का पुनरीक्षण करने के लिए समिति

सं० 11(33)/65-ई० ए० सी०—वाणिज्य मंत्रालय के 21 दिसम्बर, 1965 के इसी संख्या के संकल्प के तीसरे पैरे में वर्णित निर्यात संवर्द्धन परिषदों की कार्य-गति का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त समिति की सिफारिशें अनुबद्ध हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये और इसकी एक एक प्रति समस्त संबद्धों को भेज दी जाये।

अनुबंध

क्रमांक	सिफारिश का सार	भारत सरकार का निश्चय
1	2	3
8.1	निर्यात संवर्धन परिषदों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है । ऐसा करने के लिए चौथी योजना के निर्यात लक्ष्यों और उपायों को विशेषत: ध्यान में रखना होगा जो कि निर्यात योग्य वस्तुओं को मुक्त करने और बढ़ती हुई विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए किये जाने हैं ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.2	निर्यात संवर्धन परिषदों का कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण होता रहना चाहिए किन्तु उन्हें अधिनियम की झंझट वाली कुछ व्यवस्थाओं से छूट मिल जानी चाहिए ।	तकनीकी समिति को सौंप दी गई है ।
8.3	परिषदों के विधान में संशोधन करने की प्रणाली सरल कर देनी चाहिए और जहां कहीं वाणिज्य मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक हो तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। ।	ोट कर ली गई ।
8.4	परिषदों को प्रजातंत्रीय आधार पर चलाये जाने की दृष्टि से समझौता करने की कोई व्यवस्था अथवा ऐसी ही कोई अन्य प्रणाली होनी चाहिए जिससे कानूनी कार्रवाई न्यूनतम की जा सके ।	सिद्धान्त: स्वीकार कर ली गई ।
8.5	काजू, अभरक, चपड़ा, मसाले और तम्बाकू के लिए वस्तु बोर्ड बनाने चाहिएं ।	सरकार ने सिफारिश की परीक्षा कर के निश्चय किया है कि अभरक, चपड़ा, मसाले और तम्बाकू के लिए वस्तु बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान संगठन सम्बन्धी प्रबन्ध पर्याप्त हैं । काजू के बारे में सरकार ने अभी एक विकास परिषद बनाने का निश्चय किया है और इसके एक वर्ष बाद उस के कार्य पर फिर विचार किया आयेगा ।

1	2	3
8.6	नये सदस्य बनाने का कार्य बहुत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना होगा । मौजूदा सदस्यों के निर्यात कार्य, सफलता और संबद्ध मामलों का समय समय पर विश्लेषण होना चाहिये ।	तकनीकी समिति को सौंपी गई ।
8.7	जहां तक सम्भव हो सदस्यता की किस्मों में एक रूपता होनी चाहिये । लघु निर्माताओं और निर्यातकों के लिए कम शुल्क रखने के विषय में परिषदों को विचार करना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.8	परिषदों में जो व्यक्ति पंजीकृत हैं उन्हें अनिवार्य रूप से उनके सदस्य बनाने के लिये एक निश्चित कदम उठाया जाना चाहिए ।	तकनीकी समिति को सौंपी गई ।
8.9	परम्परा के अनुसार प्रशासन समिति में सदस्यों के रहने की अवधि सामान्यतः दो लगातार उपसत्रों तक सीमित रहनी चाहिए । इस प्रणाली को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाना सम्भव और वांछनीय है ।	तकनीकी समिति को सौंपी गई ।
8.10	जहां कहीं आवश्यक हो परिषदों के विभिन्न हितों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये । उदाहरण के लिये विभिन्न वस्तु वर्गों के स्थान सुरक्षित कर दिये जायं ।	तकनीकी समिति को सौंपी गई ।
8.11	परिषदों के अध्यक्ष पद के लिये अधिकारी नामित करने के रिवाज के स्थान पर अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए और इस का अपवाद तभी होना चाहिए जब कि किसी अधिकारी अथवा गैर-अधिकारी व्यक्ति शुरू की अवधि के लिये नामित करना बिल्कुल ही आवश्यक समझा जाय अथवा किसी विशेष वर्ग या अवधि में किसी अधिकारी अथवा गैर-अधिकारी व्यक्ति को नामित करने के लिये अति प्रबल अथवा विवश कर देने वाले कारण मौजूद हों ।	तकनीकी समिति को सौंपी गई ।
8.12	यथा सम्भव यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि एक ही व्यक्ति लगातार कई वर्षों तक अध्यक्ष न बना रहे इस के लिए कोई अच्छी परम्पराएं स्थापित करनी चाहिएं ।	स्वीकार कर ली गई ।

1	2	3
8.13	अधिकांश परिषदों की निम्न कार्यों के लिए अलग समितियां होनी चाहिएं (क) वित्त, प्रशासन और कार्यक्रम, (ख) पंजीकरण और सदस्यता, (ग) निर्यात सहायता, (घ) प्रचार और प्रदर्शनी, (ङ) किस्म नियंत्रण और शिकायतें, (च) विकास और तकनीकी मामले ।	समितियों की संख्या निश्चित करने का भार परिषदों पर छोड़ देना चाहिए। यह सिफारिश मार्गदर्शन के लिए है ।
8.14	स्थापित समितियों की बहुल्यता को रोकने के लिए परिषदों द्वारा स्वयं पुनरीक्षण इस विधि से किया जाना चाहिए जिससे कि इन समितियों का एकीकरण उपरोक्त वर्गीकरण में किया जा सके ।	स्वीकार की गई ।
8.15	वस्तुओं के विषय में और अधिक विशेषता प्राप्त करने के लिए परिषदों की तालिकाओं को अपनी सिफारिश तैयार करने के लिए और अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिये और उन्हें सचिवालय सम्बन्धी उचित सहायता भी मिलनी चाहिए । प्रशासन समिति में तालिकाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.16	परिषदों को चाहिए कि भर्ती के उपयुक्त नियम बनाएं और आदर्श सेवा के उचित नियम भी तैयार करें । भारतीय निर्यातक संगठनों के संघ को इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार करना चाहिए ।	परिषदें सेवा के नियम स्वयं बना सकती हैं ।
8.17	विकास और प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को विचार-पूर्वक अलग-अलग कर देना चाहिए । परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुख्य विकास कार्य होना चाहिए । इस अधिकारी को कार्यकारी निदेशक का नाम भी दिया जा सकता है ।	यह सिफारिश संख्या 8.11 में आ गई है ।
8.18	निर्यात संवर्धन परिषदों को सक्रियता एवं शीघ्रता से वस्तु विकास सम्बन्धी समस्याओं पर और निर्यात करने योग्य बचतों का पता लगाने के मुख्य कार्य की ओर ध्यान देना चाहिये ।	स्वीकृत ।
8.19	परिषदों के लिए यह वांछनीय होगा कि वह पहले से ही उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लें और उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाएं ।	स्वीकृत ।

1	2	3
8.20	क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक स्वशासित बनाना और क्षेत्रीय समितियों को अधिक दायित्व सौंपना वांछनीय होगा। क्षेत्रीय कार्यालयों में उचित और प्रवीण व्यक्ति रहने चाहिएं जिससे क्षेत्र के निर्यातकों को पूरी सहायता दी जा सके।	स्वीकृत
8.21	शाखा विस्तार नीति बहुत आगे नहीं बढ़ानी चाहिए परन्तु काजू, समुद्री उत्पाद और मसाले निर्यात संवर्धन परिषदों का एक संयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय बम्बई में खोला जाना चाहिए। अन्य परिषदों को कुछ अन्य कार्यालय खोलने चाहिएं।	स्वीकृत
8.22	कुछ मामलों में शुरू में ही पूरे विदेश कार्यालय खोलने के बदले अधिकृत अभियन्ता अथवा संवाददाता नियुक्त करना लाभदायक होगा। कुछ अन्य मामलों में नये कार्यालय खोलने के बदले अधिकारियों द्वारा समय समय पर किये जाने वाले दौरे अधिक फलप्रद सिद्ध होंगे। जहां कहीं भी विदेश कार्यालय हों तो उसे भारतीय उत्पादों की बिक्री और बाजारों में खपत बढ़ाने के लिये और अच्छी तरह सुसज्जित करना चाहिये। विदेशी अधिकारी भी अपनी कुर्सी से जितना ही कम बंध कर काम करने वाला होगा उतना ही अच्छा होगा।	स्वीकृत
8.23	प्रत्येक परिषद का (1) पत्रों में विज्ञापन तथा विशेष लेख देने, (2) रेडियो वार्ताएं प्रसारित करने, (3) गोष्ठियां कराने और (4) देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों में होने वाली सम्मिलित प्रदर्शनियों में भाग लेने का नियमित कार्यक्रम होना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई।
8.24	गैर तकनीकी भाषा में विशेष सचित्र पुस्तिकाए प्रकाशित होनी चाहिये जो अधिकतर प्रादेशिक भाषाओं में हों। इनके वितरण के लिये एक व्यापक सूची बनाई जानी चाहिये।	स्वीकार कर ली गई।
8.25	प्रत्येक देश के विषय में आधारभूत जानकारी प्राप्त करते रहने की एक निर्बाध व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये प्रत्येक परिषद को उस देश में सम्पर्क का एक केन्द्र स्थापित करना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई।

1	2	3
8.26	भारत सरकार के व्यापार प्रतिनिधियों के साथ यह व्यवस्था होनी चाहिये कि वे टेण्डरों की जानकारी टेण्डर फार्मों सहित परिषदों को प्रदान करें। टेण्डर फार्म खरीदने के लिये व्यापार प्रतिनिधियों को एक उचित राशि उपलब्ध करानी चाहिये।	स्वीकार कर ली गई।
8.27	परिषदों को अपनी वस्तु के उत्पादन, घरेलू उपभोग, निर्यात, मूल्यों, किस्म, कच्चे माल के संभरण आदि के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिये। इस जानकारी के साथ विदेशी बाजारों से अन्य देशों के प्रतिस्पर्धी संभरण स्रोतों द्वारा प्राप्त जानकारी को रख कर परिषद के समक्ष उस वस्तु के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पूरा और संश्लेषित चित्र प्रस्तुत हो जायगा। इसे पृष्ठ-भूमि में रख कर परिषदों को अपनी संवर्द्धन नीतियां निर्धारित करनी होंगी।	स्वीकार कर ली गई।
8.28	प्रत्येक परिषद को देश में प्रचार करने के लिये एक पत्रक प्रकाशित करना चाहिये जिसमें उपर्युक्त जानकारी का विश्लेषण हो।	स्वीकार कर ली गई।
8.29	परिषदों का यह कार्य होना चाहिये कि वे ऐसे निर्माता अथवा निर्यातक का पता लगायें जो उस प्रकार के माल का निर्यात कर सकें जिसके बारे में उससे व्यापारी पूछताछ की गई हैं और उसे अपने माल का विवरण तथा भाव भेजने के लिये राजी करें।	स्वीकार कर ली गई।
8.30	प्रत्येक परिषद के लिये यह आवश्यक होगा कि वह बहुत से अपरम्परागत बाजारों का सर्वेक्षण करायें जिससे उसकी वस्तु की निर्यात सम्भावनाओं के विषय में एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सके।	स्वीकार कर ली गई।
8.31	बाजार सर्वेक्षण प्रायोजना आरम्भ करने से पहले परिषदों को चाहिये कि वे जो जानकारी प्राप्त करना चाहती हों उसके विषय में भली प्रकार विचार निश्चित कर लें।	स्वीकार कर ली गई।
8.32	बाजार सर्वेक्षण कराने के लिये विशेषतः सावधानी के साथ अभिकरण का चुनाव करना चाहिये।	स्वीकार कर ली गई।

1	2	3
8.33	अगले पांच वर्षों में किये जाने वाले बाजार सर्वेक्षणों के लिये सरकारी अनुदान का जो प्रतिशत निश्चित किया गया है उसे 66-2-3 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर देना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.34	बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन को प्रकाशित करके सदस्यों को निःशुल्क और गैर सदस्यों को मूल्य लेकर देने के लिये शीघ्र कार्यवाई होनी चाहिये । परिषदों के सचिवालय को प्रतिवेदन की विस्तार से जांच करनी चाहिये जिससे उन विषयों पर प्रकाश डाला जा सके जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.35	जहां कहीं जांच से आशाजनक सम्भावनाए प्रकट हों तो परिषद को एक प्रायोजना बनानी चाहिये और उसे अपने काम के कार्यक्रम में शामिल कर लेना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.36	प्रत्येक परिषद को चाहिये कि जिन वस्तुओं से उसका सम्बन्ध है उनकी निर्यात सम्भावना हो तो उनके विकास कार्यों में दिलचस्पी ले और सम्बद्ध उत्पादक को वांछित किस्म का माल बना कर निर्यात करने को राजी करे । यदि उसके प्रयत्न निर्माता को राजी न कर सकें तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे निर्माता से सम्पर्क घनिष्ट करने चाहिये और साथ ही इसके लिये उस वस्तु के विकास से सम्बद्ध सरकारी अभिकरण की सहायता भी लेनी चाहिये ।	सामान्यतः स्वीकार कर ली गई ।
8.37	लक्ष्य, प्रायोजना से सम्बद्ध व्यक्तियों का वर्गीकरण, माध्यम, समय क्रम, वित्त, क्रियान्वयन, समन्वय और आकलन अभिकरणों जैसे विभिन्न तत्वों का संश्लेषण करने वाली कार्यचालन प्रायोजनाएं प्रत्येक परिषद् को तैयार करनी चाहियें ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.38	वर्ग विशेषों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले विशिष्ट प्रकाशनों द्वारा बड़े प्रयत्न करने होंगे । विशेष पुस्तिकाएं तैयार करानी होंगी और ऐसा करते समय उन व्यक्तियों के वर्ग को	स्वीकार कर ली गई ।

1	2	3
	ध्यान में रखना होगा जिनमें वे पुस्तिकाएं बांटी जायेंगी । उनकी विषय सूची भी इस प्रकार रखनी होगी कि वह उस वर्ग के व्यक्तियों की रुचि के अनुकूल हो । कई विभागीय भण्डारों में प्रगतिशील स्थानीय व्यापारियों द्वारा कभी कभी वस्तुओं के प्रदर्शन किये जाते हैं। इन प्रदर्शनों में भाग लिये जाने की व्यवस्था प्रायोजनाओं में की जानी चाहिये। होटलों, रेस्टराओं तथा खाने पीने के अन्य स्थानों को भी निर्यात के लिये चुने जाने वाले खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय करने के लिये काम में लाना चाहिए । ऐसे प्रदर्शनों का अनुसरण करने के लिए पण्यवस्तु सम्बन्धी विशेष फिल्मों की प्रदर्शनी को व्यवस्था करनी चाहिए । विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों को भी इस प्रायोजना में शामिल किया जा सकता है । भारत के कुछ कारखानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विदेशों से इंजीनियरों तथा मिस्त्रियों को बुलाया जा सकता है जिससे कि वे जब वापिस जायें तो भारतीय मशीनों से परिचित होने के कारण अपने कार्यक्रमों में भारतीय वस्तुओं को शामिल कर लेने के लिये अधिक इच्छुक हों ।	
8.39	यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जब कार्यक्रम जोरों पर हो तो माल शेल्फों में मौजूद रहे । जब प्रायोजना के साथ साथ अन्य घटनाएं होती हैं, जैसे कि किसी प्रदर्शनी का होना या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आना, तो अच्छा प्रचार हो जाने की संभावना होती है ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.40	प्रायोजना तैयार करने में किसी विशेषज्ञ अभिकरण की सहायता ले लेना उचित होगा । प्रायोजना के कार्यान्वियन का कार्य इसी अभिकरण को सौंपा जा सकता है । सम्बन्धित देश में भारत सरकार के वाणिज्यिक प्रतिनिधि से कहा जाय कि वे कार्यान्वियन की प्रगति पर ध्यान रखें और उसके प्रभावों का आकलन करें ताकि परिषद् प्रगति के अनुसार कार्यक्रम में समय समय पर संशोधन कर सके ।	स्वीकार कर ली गई ।

1	2	3
8.41	उपभोक्ताओं के ऐसे वर्ग को लक्ष्य बना कर किया गया प्रचार जिस की विभिन्न परिषदों के क्षेत्र में पड़ने वाली वस्तुओं में दिलचस्पी हो सकती हो प्रायः ही आवश्यक होता है । ऐसा करना कुछ तो किसी वर्ग की समस्त वस्तुओं के उत्पादक रूप में भारत का चित्र प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक होता है और कुछ इसलिये कि उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिये कई भारतीय अभिकरणों द्वारा प्रचार नहीं किया जाता । विभिन्न परिषदों के क्षेत्र में पड़ने वाली वस्तुओं के लिये उपभोक्ताओं की दृष्टि से किया जाने वाला प्रचार भारतीय निर्यातक संगठनों के संघ का एक विशेष कार्य होना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.42	असंयुक्त कदमों अथवा तात्कालिक आवश्यकता को पूर्ति के लिए किये जाने वाले उपायों के स्थान पर सामान्य प्रचार का एक ऐसा कार्यक्रम अच्छे परिणाम प्रकट करेगा, जिसके अन्तर्गत सभी उपाय आ जायें ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.43	परिषद् के प्रचार कार्यक्रम में विदेशों के लिये प्रकाशित पत्रिका, पण्य-वस्तु संबंधी पुस्तिकाएं, फोल्डर, सूचीपत्र तथा बिक्री साहित्य को शामिल किया जा सकता है ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.44	प्रत्येक परिषद् को भारतीय उत्पादों के विषय में प्रसारण करने के लिए आकाशवाणी की विदेशी सेवाओं द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठाना चाहिए । आकाशवाणी को इन वार्ताओं का अनुवाद कराके अपने विदेशी भाषा प्रसारणों में इन्हें पुनः प्रसारित करना चाहिए । भारत सरकार के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को ऐसे प्रसारण उन देशों के स्थानीय रेडियो केन्द्रों से प्रसारित कराना चाहिए जिनमें वे नियुक्त हों ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.45	भारतीय फर्मों को विदेशों में वाणिज्यिक कार्यक्रमों द्वारा विज्ञापन देने की अनुमति दी जाय बशर्ते कि ऐसे विज्ञापनों को उन देशों की	स्वीकार कर ली गई ।

1	2	3
	स्थानीय भाषाओं में दिया जाय । इस कार्य के लिए परिषदों की सिफारिश पर रिजर्व बैंक को आवश्यक विदेशी मुद्रा स्वत: प्रदान कर देनी चाहिए ।	
8.46	प्रत्येक परिषद् को अपने प्रमुख सम्बद्ध उत्पादों पर एक रंगीन संगीत फिल्म चुने हुए लोगों को दिखाने के हेतु तैयार करवानी चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.47	अच्छे कलाकारों की ऐसी फ़ीचर फिल्म जिसमें भारतीय औद्योगिक विकास अथवा भारतीय बागानों की पृष्ठभूमि रखी गयी हो, कई देशों में टेलीविजन प्रसारण के लिये स्वीकृत हो सकती है ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.48	प्रत्येक परिषद् को "लक्ष्यात्मक माल" तैयार करना चाहिये जिसमें उत्पादों के उपहार पैकेट, ऐसी वस्तुएं यथा काफी मिर्च पीसने की मशीन, सिगरेट लाइटर, तथा डैस्क कैलन्डर, ऐशट्रे, पैन-होल्डर इत्यादि वस्तुएं सम्मिलित की जाएं ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.49	परिषदों को चाहिये कि वे भारतीय व्यापार मेले और प्रदर्शनी परिषद् की सदस्य बन जायें । प्रत्येक परिषद् को चाहिये कि वह जहां तक सम्भव हो अपने उत्पादों का प्रदर्शन उस प्रकार के उत्पादों के लिये निर्धारित खण्ड में करे न कि यह कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद इकट्ठे कर के एक ही मण्डप में रख दें ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.50	साधारणत: विशिष्ट प्रदर्शनियों का प्रभाव अधिक सीधा पड़ता है जबकि सामान्य प्रदर्शनों में भाग लेने से दीर्घकालीन प्रभाव होता है । ये एक दूसरे के पूरक होने के कारण परिषदों को चाहिये कि वे विशिष्ट प्रदर्शनी तथा सामान्य प्रदर्शनों दोनों पर ही समान रूप से ध्यान दें ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.51	शिष्ट मंडल उन अपरम्परागत बाजारों को भेजे जायें जहां कि पहले किये गये बाजार सर्वेक्षण से निर्यात सम्बर्द्धन की संभावनाएं प्रकट हुई हैं । जहां तक परम्परागत बाजारों का सम्बन्ध है परिषद् को इन स्थानों के लिये विक्रय दल भेजने चाहियें ।	स्वीकार कर ली गई ।

1	2	3
8.52	शिष्टमंडल भेजने से पूर्व, परिषदों को चाहिये कि वे समुचित तैयारी कर लें जिसमें केवल अधिकारियों का उपयुक्त चुनाव ही नहीं वरन् विभिन्न सम्बद्ध विषयों की जानकारी देना भी शामिल है जिससे कि उनका दौरा सफल हो सके ।	स्वीकार कर ली गई।
8.53	शिष्टमंडल में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये । परिषदों को शिष्टमंडल के सदस्य चुनने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये परन्तु यह चुनाव परिषद् की प्रशासन समिति को अपने औपचारिक अधिवेशन में करना चाहिये । इस विषय में परिषदों को कुछ पूर्व निश्चित निर्देशों का पालन करना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई।
8.54	शिष्टमंडल के सदस्यों को जानकारी देने, विदेशों में शिष्टमंडल के कार्य और इसके बाद होने वाले कार्यों के विषय में एक नियमित कार्यविधि बनायी जानी चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई।
8.55	परिषदों को प्रतिवर्ष एक अथवा दो दल विदेशों से आमन्त्रित करने के प्रयत्न करने चाहियें, जो कि विशिष्ट वस्तुओं के लिये भारत की निर्यात क्षमताओं का अध्ययन करने, वास्तविक खरीद करने अथवा भारतीय उत्पादों की किस्म के विषय में अपने आपको सन्तुष्ट करने के उद्देश्य से आयें ।	स्वीकार कर ली गई।
8.56	प्रत्येक परिषद् का प्रयत्न होना चाहिये कि वह विदेशों में एक या दो कार्यालय खोले, जो कि उन बाजारों में निर्यात सम्भावनाओं के अनुसार खोले जायं। प्रत्येक परिषद् को विदेश व्यापार संस्थान की सलाह ले कर एक कार्यक्रम उक्त कार्यालयों के अधिकारियों को प्रशिक्षण एवं जानकारी देने और समय समय पर प्रशिक्षण प्रत्यावर्तन कोर्स करवाने के लिये, निर्धारित करना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई।

1	2	3
8.57	जहां तक सम्भव हो, लदान पूर्व जांच कार्य सम्बद्ध परिषदों को स्वयं ही करना चाहिये । जहां किसी परिषद् के पास आरम्भ में अनुभवहीनता के कारण, परिषदों के कार्य के लिये किसी अन्य अभिकरण द्वारा देख रेख की यह व्यवस्था कर दी गयी है, वहां भी अब समय आ गया है कि इस देख रेख की व्यवस्था को वापिस ले लिया जाय । तम्बाकू, मसाले और काजू के विषय में सभी कार्य जिनमें कि लदानपूर्व जांच शामिल है केवल समिति द्वारा सुझाये गये बोर्डों द्वारा ही होनी चाहिये ।	यह अनुभव किया गया है कि पूर्व जांच कार्य का एक पक्ष दण्डात्मक भी होने के कारण इसका निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों के सम्वर्द्धनात्मक कार्य से परस्पर विरोध होगा । अतएव इन्हें यह कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये । निर्यात जांच परिषद् अथवा कृषि-जन्य विपणन सलाहकार जैसे अभिकरणों द्वारा लदान पूर्व जांच कार्य करवाया जा सकता है ।
8.58	प्रत्येक परिषद् को भारतीय मानक संस्था का सदस्य बन जाना चाहिये और उसे मानक तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गई ।
8.59	किस्म नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों का प्रचार करना निर्यात सम्वर्द्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पक्ष है और इस पर अब तक की अपेक्षा अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये । इस प्रचार का दायित्व विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों पर रहना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.60	सरकार द्वारा अनिवार्य निर्यात जांच सम्बन्धी निश्चय करने पर निर्यात जांच अधिनियम का सहारा लिया जाना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.61	निर्यात सहायता सम्बन्धी प्रत्येक प्रस्ताव के विषय में सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजने से पहले उसका प्राविधिक अधिकारियों की सलाह ले कर ध्यानपूर्वक विश्लेषण कर लिया जाना चाहिये ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.62	निर्यात सहायता योजनाओं को लागू करने के सम्बन्ध में परिषदों को इस समय की अपेक्षा और अधिक दायित्व लेने चाहियें । परिषदों के दायित्व बढ़ने के साथ ही, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाये कि प्रत्येक आवेदन पत्र की परिषद् सचिवालय द्वारा एक ऐसे जांच पत्र के अन्तर्गत जांच कर ली जाए जो कि इसी उद्देश्य से लाइसेंसिंग अधिकारियों की सहायता ले कर तैयार किया गया हो ।	स्वीकार कर ली गई बशर्ते कि लाइसेंसिंग अधिकारी का दायित्व अन्तिम रहे ।

1	2	3
8.63	प्रत्येक परिषद् को अपने समस्त सदस्यों और पंजीकृत निर्यातकों के कार्ड इंडेक्स तैयार करने चाहियें और आयात-हकदारी लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं से यह सूचना समय समय पर लेते रहना चाहिये कि निर्यात किये गये माल से सम्बद्ध विदेशी विनिमय की प्राप्ति देश में हो गयी है और सम्बद्ध बैंकर का सर्टिफिकेट 6 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कर लिया गया है । निर्यात सहायता योजना के अन्तर्गत जारी किये गये अग्रिम लाइसेंसों के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिये । निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों को चाहिए कि वे संवेदनशील वस्तुओं के स्थान विशेष को जिनमें मुक्त बन्दरगाह भी शामिल हैं, होने वाले निर्यातों की अचानक जांच के लिये सीमा शुल्क अधिकारियों से अपना सम्पर्क बराबर बनाये रखें । इन्हें अपना सम्पर्क रिजर्व बैंक से भी, उन मामलों में रखना चाहिये जहां विदेशी विनिमय की प्राप्ति और वापिसी की वे जांच समस्याएं हैं जो कि निर्यात सहायता योजना के अन्तर्गत वर्गों को प्रदान की गयी हैं ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.64	**परिषद को चाहिये कि इन योजनाओं की प्रशासन प्रक्रिया में अपने पूर्वानुभव से काफी ज्ञान प्राप्त कर इस योग्य हो जाये कि एक ओर तो यह सहायता की सीमा में तथा वस्तुओं को लाइसेंस देने के सम्बन्ध में परिवर्तन करने की सिफारिशें कर सके तथा दूसरी ओर आवेदकों को अपने आवेदन पत्र और कागजात ठीक ढंग और रूप में तैयार करने की शिक्षा दे सके । इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग उन मामलों को पकड़ने में भी किया जाना चाहिये जहां अण्डर-इनवायस या ओवर-इनवायस किये गये हों ।**	**स्वीकार कर ली गयी ।**
8.65	परिषदों को यह सिफारिश करनी चाहिये कि वस्तु पर प्रशुल्क वापिसी समस्त-उद्योग दर पर निर्धारित की जाये अथवा ये दरें उस वस्तु के विभिन्न छापों पर निर्धारित की जाये ।	स्वीकार कर ली गयी ।

1	2	3
	परिषदों को चाहिये कि वे प्रशुल्क वापिसी अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियां बनाये रखें, प्रशुल्क वापिसी अधिसूचनाओं की वे दोनों अनुसूचियां जिनमें निर्यातकों से सम्बद्ध प्रविष्टियां दी गयी हों, को परिचालित करें, सभी सम्बद्ध वस्तुओं सम्बन्धी संशोधनों को परिचालित करें, और सदस्यों को शुद्ध अधिसूचनाएं प्रति वर्ष पुनः परिचालित करें। परिषदों को चाहिये कि निर्यातकों की सहायता करने तथा प्रशुल्क वापिसी की व्यवस्था की जानकारी देने में और अधिक सक्रिय भाग लें।	
8.66	[परिषदों को चाहिये कि वे निर्यातकों को जहाज भवान भाड़े में छूट के विषय में जहाजी कम्पनियों से वार्ता करने के लिये भी इसी प्रकार की सहायता प्रदान करें।	स्वीकार कर ली गयी।
8.67	वाणिज्यिक झगड़े निबटाने के लिये निर्धारित दिशाओं में और अधिक सुव्यवस्थित प्रणाली अपनायी जानी चाहिये। जहां कहीं सम्भव हो एक मानक संविदा फ़ार्म, जो कि निर्यातकों द्वारा उपयोग में लाया जाय, लागू किया जाना चाहिये अथवा कम से कम मध्यस्थता सम्बन्धी एक धारा विभिन्न संविदाओं में सम्मिलित करने के लिये जारी की जानी चाहिये।	इस पर भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है।
8.68	पंचवर्षीय बजट के साथ ही मोटे तौर पर पंच वर्षीय कार्य की मोटी रूपरेखा भी बनायी जानी चाहिये।	आधारभूत बजट तथा कार्य की रूपरेखा परिषदों द्वारा 2 अथवा 3 वर्षों के लिये बनायी जानी चाहिये जो कि निर्यात उत्पाद पर निर्भर हो।
8.69	पंचवर्षीय कार्यक्रम को एक वर्षीय कार्यक्रमों में विभाजित किया जा सकता है जिससे कि वार्षिक बजट स्वीकृत हो सके तथा इसका और विस्तृत रूप तथा विवरण निर्धारित किया जा सके। बजट तथा कार्यक्रम की जांच वर्ष के आरम्भ में ही पर्याप्त विस्तार से कर	स्वीकार कर ली गयी (यह सिफारिश सं० 8.68 के साथ पढ़ी जायेगी)

1	2	3
	ली जाय जिससे कि चालू वर्ष में ही कार्यक्रम में परिवर्तन करने का मौका न पड़े तथा परिषदों को सरकार के पास किसी कार्यक्रम विशेष या कार्य की स्वीकृति के लिये न जाना पड़े । मंत्रालय से इसके समन्वय के लिये वह वस्तु अनुभाग हो सकता जो कि किसी विशिष्ट वस्तु से सम्बद्ध परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि चालू वर्ष में कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने का अभिप्राय नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में परिषदों द्वारा किये जाने वाले कार्य सम्बन्धी सभी पत्र व्यवहार वस्तु अनुभाग के माध्यम से होना चाहिये जिससे कि अनुभाग द्वारा परिषद् के वित्तीय साधन और परिषद के कार्य की रूपरेखा पर ध्यान रखते हुए अन्य भागों से प्राप्त होने वाले विचारों पर, परिषद द्वारा इसमें दिलचस्पी लेने के लिये कहने से पहले ही विचार कर लिया जाये ।	
8.70	परिषदों को केवल कार्यक्रम लागू करने के लिये ही व्यवस्था नहीं करनी है, वरन इसकी प्रगति देखने के लिये भी व्यवस्था करनी है और तदनुसार "किये गये कार्य के लिए आडिट" की व्यवस्था के लिये प्रत्येक परिषद् द्वारा कदम उठाये जाने चाहियें । प्रत्येक परिषद द्वारा इसके लिये अलग से व्यवस्था की जानी चाहिये जो कि कार्यकारी उपाध्यक्ष के प्रति सीधी उत्तरदायी हो ।	सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी ।
8.71	प्रत्येक परिषद के सम्वर्द्धनात्मक और विकासात्मक पक्षों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, वित्तीय आधार को काफी सुदृढ़ रूप में स्थापित किया जाये तथा प्रशासन में कार्यकारी शक्ति मजबूत की जाये, विशेषकर उस बढ़ते हुए संभंधित कार्य के लिये जो कि भारतीय निर्यातिक संगठनों के संघ और विभिन्न सरकारी अभिकरणों के मध्य होने की आशा है ।	स्वीकार कर ली गयी ।

1	2	3
8.72	परिषदों द्वारा निधि प्रशासन के उन कार्यों में काफी नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिये, जो कि विशिष्ट कार्यों के लिये हों तथा व्यय के मानकीकृत उद्देश्यों पर अमल किया जाये । वर्तमान आडिट के प्रकार को लागू कर दिया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य सम्बन्धी विभिन्न वर्गों में होने वाले व्यय पर निरन्तर और बराबर देखरेख रखी जा रही है । विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यभार की जांच समय समय पर की जानी चाहिये ।	इस सिफारिश को भी सिफारिश 8.87 के साथ ही पढ़ा जाये । सरकार इससे सहमत है कि परिषदों के हिसाब के वर्तमान लेखा परीक्षा के अतिरिक्त एक "कार्य-दक्षता लेखा परीक्षा" होनी चाहिये ।
8.73	जहां तक सदस्यों के वर्गों तथा सदस्यता शुल्क में भेदभाव का सम्बन्ध है, यह उचित होगा कि भारतीय निर्यातक संगठन संघ इस प्रश्न को विस्तृत रूप में ले कर यह देखे कि इन क्षेत्रों में परिषदों में क्या अथवा किस सीमा तक एकरूपता रखी जा सकती है ।	स्वीकार कर ली गयी
8.74	विशेष वर्ग की वस्तुओं के निर्माताओं और निर्यातकों को शामिल करने के लिये सदस्यता का आधार विस्तृत बनाना चाहिये और जहां लागू हो, केवल उन्हीं को जो कि परिषद के पूर्णरूपेण पंजीबद्ध सदस्य हों, परिषद से निर्यात सहायता का लाभ मिलना चाहिए ।	स्वीकार कर ली गयी
8.75	बाजार विकास निधि के अंशदान को, विशेषतः प्रारम्भिक चरणों में और अधिक प्रयत्न करने के लिये उदार करना चाहिए ।	सिद्धांततः स्वीकार कर ली गयी ।
8.76	जहां निर्यात सहायता की कोई भी योजना चालू न हो, वहां अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिये सेवा प्रभारों की दरें उचित रूप से ऊंची कर देनी चाहिएं ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.77	सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद तथा अन्य परिषदों को, यथासम्भव अधिकतम स्वतंत्र आधार पर पर्याप्त, धन देना चाहिए । जहां तक जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण संबंधी शुल्कों के मान का संबंध है, वे सामान्यतः निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 0.1 से 0.3 प्रतिशत तक होने चाहिएं । सभी मामलों में सरकार को उपयुक्त अनुदान देने चाहियें ।	तकनीकी समिति को सौंप दी गई ।

1	2	3
8.78	कृषिगत उपकर, यदि इसे खत्म न कर दिया गया हो, से प्राप्त होने वाली धन राशि सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों और उन वस्तु बोर्डों को, जिनकी स्थापना के लिये समिति ने सिफारिश की है, देनी चाहिए ।	यह सिफारिश सरकार द्वारा नोट कर ली गयी है ।
8.79	एक ऐसा परिव्यय ढांचा बनाना आवश्यक हो जो कि परिषदों की उन्नति और आयोजित लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुरूप हो ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.80	परिषदों को धनराशि के विवेकपूर्ण खर्च के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए क्योंकि इसमें सरकारी अनुदान शामिल होते हैं । अपने नियमों और विनियमों के अन्तर्गत इस उद्देश्य से बनाये गये उपकानूनों की समीक्षा प्रत्येक परिषद को अनुमोदित बजटों के अनुसार करनी चाहिए । कई परिषदों की वित्तीय शक्तियों के अधिकार-समर्पण के मामले में कुछ सीमा तक एकरूपता लाने की भी आवश्यकता है ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.81	छोटे पदों के वेतन मानों आदि में थोड़ी सी एकरूपता लाना वांछनीय है । वे प्रतिस्पर्धा वाणिज्यिक संगठनों अथवा वाणिज्यिक सदनों में उपलब्ध वेतन के अनुरूप होने चाहिएं और देश के विभिन्न भागों में विद्यमान वेतन मानों के प्रादेशिक अन्तर को ध्यान में रख कर उन्हें बनाया जाना चाहिये ।	अधिकांश परिषदों ने छोटे पदों के वेतन मानों में एकरूपता अपना ली है । यह सिफारिश सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी ।
8.82	संगठन के नेमी प्रशासनिक मामलों को निरे विकासगत पहलू से अलग रखना चाहिए । यदि परिस्थितियों के अनुसार उचित हो तो परिषद को अपना बजट इस आधार पर बनाने की इजाजत दे देनी चाहिए कि भारत में प्रशासन संबंधी खर्च कुल खर्च का 45 प्रतिशत तक हो सके ।	यह मंत्रालय अनुभव करता है कि प्रशासन संबंधी खर्च, विशिष्ट प्रायोजनाओं पर होने वाले खर्च तथा पूंजीगत खर्च को छोड़ कर परिषद के कुल खर्च के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रभु मेहता समिति द्वारा सुझाये गये बजट प्रोफार्मा में उचित रूप से संशोधन किया जायगा । इस सिफारिश को सिफारिश 8.85 के साथ पढ़ना चाहिये ।

1	2	3
8.83	प्रकाशनों और विज्ञापन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने के लिये परिषदों को चाहिए कि वे विवेकपूर्ण तरीके से प्रकाशनों का वितरण करें और अपने द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के लिये निर्यातकों में अधिक रुचि पैदा करें ।	यह सिफारिश सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी है । सरकार यह अनुभव करती है कि विदेशों में वितरित किये जाने वाले प्रकाशनों को छोड़कर, अन्य सभी प्रकाशनों की कीमत रखनी चाहिए । परिषदें इन प्रकाशनों का वितरण उन सरकारी विभागों, संगठनों, सदस्यों आदि जिनके विषय में प्रत्येक परिषद जैसा निश्चित करे, को मुफ्त कर सकती हैं । प्रकाशन यथासम्भव स्वयं वित्तपोषक होने चाहिएं ।
8.84	प्रत्येक परिषद को प्रत्यक्ष संवर्धनात्मक कार्य-कलापों पर होने वाले खर्च और निर्यात-निष्पादन के बीच उचित संबंध स्थापित करना चाहिए ।	नोट कर ली गयी ।
8.85	प्रत्यक्ष निर्यात संवर्धनात्मक कार्यों पर होने वाले खर्च के लिये मिलने वाला अनुदान सरकार द्वारा अधिकाधिक वहन किया जाना चाहिए । सदस्यता शुल्क और सेवा प्रभारों से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल परिषद भारत में प्रत्यक्ष प्रशासन संबंधी खर्च को पूरा करने के लिये कर सकती है ।	यह सिफारिश 8.82 के अन्तर्गत आ गयी है ।
8.86	बजट तैयार करने और सरकार द्वारा इसका अनुमोदन करने के बारे में क्रिया-विधि की एक विस्तृत योजना का सुझाव दिया गया है । इसमें पंचवर्षीय आधार पर बजटों का बनाना और स्थायी समिति द्वारा उनका अनुमोदन आदि शामिल हैं । बजट संबंधी एक मानक प्रोफार्मे का नमूना भी तैयार कर लिया गया है ।	यह सिफारिश 8.68 के अन्तर्गत आ गयी है ।
8.87	लेखा परीक्षा कार्यक्रम के केवल वित्तीय पहलू तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि आयोजित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य की तुलना में खर्च की गई प्रत्येक मद का मूल्यांकन करने की भी इसमें व्यवस्था होनी चाहिए ।	यह सिफारिश 8.72 के अन्तर्गत आयी है ।

1	2	3
8.88	यह स्पष्ट रूप से आवश्यक है कि परिषदों और वाणिज्य मंत्रालय के तत्संबंधी प्रभागों के विभिन्न अनुभागों के बीच समन्वय बराबर सुदृढ़ किया जाये ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.89	निर्यात संवर्धन परिषदों के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक हर छः महीने के बाद होनी चाहिए और बम्बई, कलकत्ता, कोचीन और मद्रास जैसे अन्य महत्वपूर्ण शहरों में वर्ष में एक या दो बार बैठक करना वांछनीय होगा ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.90	राज्यों के स्तर पर निर्यात संवर्धन के प्रयत्न को प्रोत्साहित करने के महत्व को देखते हुए राज्य सरकारों और परिषदों द्वारा किए जाने योग्य कुछ उपाय बताये गये हैं ।	नोट कर ली गयी ।
8.91	बन्दरगाह निर्यात संवर्धन सलाहकार समिति द्वारा किये जा रहे उपयोगी काम को ध्यान में रखते हुये निर्यात संवर्धन परिषदों को, जिनके मुख्य कार्यालय अथवा स्थानीय प्रादेशिक कार्यालय इन शहरों में हैं, को इन समितियों के कार्य में बराबर रुचि लेनी चाहिए ।	नोट कर ली गयीं ।
8.92	भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (एफ० आई० इ० ओ०) को देश के निर्यात संबंधी प्रयत्न में महत्वपूर्ण कार्य करना है और इस विषय में सक्रिय कदम उठाने चाहिएं जिससे यह बहुत जल्दी ही कारगर रूप से काम करने लगे ।	नोट कर ली गयी ।
8.93	निर्यात संवर्धन परिषदों और चुनी हुई संस्थाओं जैसे वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय चेम्बरों के संघ, वाणिज्य के असोसिएटिड चेम्बर, अखिल भारतीय निर्माता संगठन, के बीच प्रकाशनों का नियमित आदान-प्रदान होना चाहिए । अपनी समितियों में विशिष्ट संघों के प्रतिनिधियों को शामिल करना भी परिषदों के हित में होगा ।	नोट कर ली गयी ।
8.94	निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष अथवा कार्यकारी निदेशक सम्बद्ध विकास परिषद अथवा अन्य विशिष्ट निकाय का पदेन सदस्य होना चाहिए और उस निकाय का अध्यक्ष अथवा मनोनीत व्यक्ति सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद का पदेन सदस्य होना चाहिए ।	तकनीकी समिति को सौंप दी गयी ।

1	2	3
8.95	सभी निर्यात संवर्धन परिषदों और अथवा उनके प्रादेशिक कार्यालयों को प्रत्येक मुख्य केन्द्रों में एक ही इमारत में रखने के प्रयत्नों और निर्यात संवर्धन की कुछ परिषदों को विदेशी शहरों में एक ही स्थान पर रखने के इसी प्रकार के प्रयत्नों को गहन करने की आवश्यकता है ।	स्वीकार कर ली गयी ।
8.96	वाणिज्य मंत्रालय के विभिन्न बन्दरगाहों पर संयुक्त निदेशकों तथा उपनिदेशकों को नियुक्त करने की प्रणाली जारी रखने और उनके संगठनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ।	सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी ।
8.97	नयी परिषदों के गठन संबंधी सिद्धांतों में ये शामिल होने चाहिएं :—निर्यात का मूल्य, निर्यात बाजार में सम्बद्ध वस्तु द्वारा अनुभूत समस्या की गम्भीरता, प्रतिस्पर्धा की सीमा, उत्पाद के निर्यात की सम्भावनाएं आदि ।	सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी ।
8.98	उन वस्तुओं के विषय में, जो कि इस समय किन्हीं परिषदों, वस्तु बोर्डों और अन्य संगठनों के अन्तर्गत नहीं आती, संवर्धनात्मक उपाय करने के प्रश्न की जांच भारतीय निर्यात संगठनों के संघ द्वारा समय समय पर की जानी चाहिये जिससे विशिष्ट वस्तुओं को विद्यमान संगठनों से सम्बद्ध कर देने अथवा उसकी नयी निर्यात संवर्धन परिषद बनाने के बारे में सुझाव दिया जा सके ।	सामान्यतः स्वीकार कर ली गयी ।
8.99	भारतीय निर्यात संगठनों के संघ को चाहिए कि वह उन वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें जिन के लिये समन्वित प्रयत्न अपेक्षित हों और जहां एक से अधिक परिषद संबंधित हो, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अन्य उद्योग को उत्पाद उपलब्ध कराने और उसके इस्तेमाल के बारे में उचित कार्यविधियां बनाने के लिये सरकार को सुझाव दे ।	यह मंत्रालय भारतीय निर्यात संगठनों के संघ द्वारा इस प्रकार की पहल किये जाने का स्वागत करेगा ।
8.10	प्रत्येक परिषद, जिसके अन्तर्गत अलग अलग उत्पाद आते हैं, के अधीन तालिकाएं बनानी चाहिएं जिससे क्षेत्र के प्रत्येक निर्यातक में भाग लेने की भावना पैदा हो । इन्जीनियरिंग परिषद को	स्वीकार कर ली गयी ।

1	2	3
	उदाहरण के रूप में लेते हुये, अन्य बातों के साथ साथ, यह सुझाव दिया जाता है कि उन केन्द्रों में जहां उद्योग केन्द्रित है, तालिकाएं बनानी चाहिएं, इन्हें स्वायत्त आधार पर काम करना चाहिए, प्रादेशिक समिति और मुख्य परिषद की कार्यकारिणी समिति में इनके हितों के प्रतिनिधित्व के लिये भी उचित प्रबंध करने चाहिएं, प्रादेशिक समिति को और अधिक स्वायतता मिलनी चाहिए और उसके द्वारा चालू योजना से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाएं उसे सीधे ही वाणिज्य मंत्रालय से प्राप्त होनी चाहिए । निर्यात सहायता योजना के पुनरीक्षण, शिष्ट मण्डल भेजने, तालिकाओं अथवा प्रादेशिक समिति द्वारा सामान्य प्रचार करने विषयक सुझावों का परिष्करण करने के लिये प्रबन्धों का भी सुझाव दिया गया है ।	
8.101 इंजीनियरी वस्तुओं के विषय में उत्पाद विशेषीकरण की बहुत आवश्यकता है और हो सकता है कि परिस्थिति के अनुसार प्रथक निकाय स्थापित करने उचित हों जिससे कुछ उत्पादों और उत्पाद-वर्गों के विशेष हितों की देख-रेख की जा सके ।	स्वीकार कर ली गयी ।	
8.102 संयुक्त उद्यम स्थापित करने तथा पूंजीगत उपकरणों और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमकर्ताओं और निर्यातकों का मार्गदर्शन तथा सहायता करने हेतु संगठनात्मक आधार को सुदृढ़ बनाना चाहिए । इस उद्देश्य से सरकारी स्तर पर होने वाले कार्य को अनुपूरित करने के लिये अलग से एक गैर-सरकारी संगठन स्थापित किया जाना चाहिए ।	संगठन संबंधी विद्यमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये संयुक्त उद्यमों आदि की सहायतार्थ नये गैर-सरकारी संगठन का स्थापित किया जाना अभी आवश्यक नहीं समझा जाता है ।	
8.103 जहां तक कार्य विस्तार का संबंध है, इस बात पर बल दिया जाता है कि उचित समन्वित संयुक्त प्रचार संबंधी कार्यक्रमों के जरिये परिषद को ऐसा चित्र प्रस्तुत करना चाहिए कि भारत बढ़िया किस्म की वस्तुओं का अनवरत सम्भरणकर्ता है और स्वमेव को सम्भावित सूचनाओं का विश्वसनीय भंडार-केन्द्र भी होना चाहिए ।	स्वीकार कर ली गयी ।	

1	2	3
8.104	कुछ परिषदों के संरक्षण में निर्यात उद्योग सामग्री निगम स्थापित किये जाने के सुझाव पर अमल होना चाहिये।	यदि आवश्यकता हो तो निर्यात संवर्धन परिषद व्यापारियों से धन राशि प्राप्त करके सम्मिलित निकाय बना सकती है जिससे निर्यात उद्योगों में आवंटन करने के लिए आयातित और स्थानीय कच्चे माल की व्यवस्था हो सके। निकायों का प्रशासन परिषदों के हाथ में रहेगा ।
8.105	कुछ परिषदों को मूल्य-नियंत्रण और स्थिरीकरण की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिए ।	इस संबंध में निर्यात संवर्धन परिषदों के सुझावों का सरकार स्वागत करेगी ।
8.106	कुछ अन्य निदेशों, जैसे पैक करने की समस्याओं में और अधिक रुचि, समापित उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये सोद्देश्य प्रयत्न, विदेशों में लगने वाली प्रदर्शनियों अथवा प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शन के लिये भेजे गये माल का निरीक्षण, किस्म नियंत्रण योजनाओं का विस्तार, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यकी के महानिदेशक के साथ मिलकर सांख्यिकीय तथा अन्य जानकारी का प्रसारण, के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं ।	स्वीकार कर ली गयी ।

अ० चं० बनर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966